971

[2022] 6 एस. सी. आर 971

/

हाजी राजशिभाई ओडेदरा बनाम.

गुजरात राज्य

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 644) 11 जुलाई, 2022

/

[न्यायमूर्ति एम**.** आर**.** शाह और न्यायमूर्ति बी**.** वी**.** नागरत्ना।**]**

दंड संहिता, 1860:धारा 302, 307, 328 – हत्या-अभियोजन मामला कि आरोपी और सह-आरोपी ने शादी करने के उद्देश्य से साजिश रची और सह-आरोपी की मां और चाचा की गला दबाकर हत्या कर दी-पार्टियों ने सह-आरोपी के भाई को भी मारने की कोशिश की लेकिन वह बच गया और चश्मदीद गवाह बन गया-घटना स्थल से कीटनाशक की बोतल की बरामदगी की जांच पर-सह-आरोपी नाबालिग होने के कारण, किशोर न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया-आरोपी यू/एस को दोषी ठहराया गया।302, 307 और निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा 328-का औचित्य-आयोजित किया गया:न्यायोचित-हालाँकि सह-अभियुक्त के भाई के अलग-अलग बयानों में कुछ विरोधाभास हैं, जिन्होंने अभियुक्त का नाम बयान किया, हालाँकि, उसकी कम उम्र और इस तथ्य को देखते हुए कि उसे गर्दन पर चोट लगी है जो डॉक्टर द्वारा साबित किया गया था, उसे संदेह का लाभ दिया गया-इसके अलावा, यह स्थापित किया गया कि अभियुक्त ने घटना स्थल से मिली कीटनाशक की बोतल खरीदी थी-साथ ही आरोपी अपने खिलाफ पाई गई उक्त आपत्तिजनक सामग्री/परिस्थितियों को समझाने में विफल रहा।

/

/

/

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने**,**

अभिनिर्धारित किया **:1.1** मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए**,** यह नहीं कहा जा सकता है कि निचली विचारण न्यायालय के साथ**-**साथ उच्च न्यायालय ने एस और उसके भाई की हत्या करने के लिए आरोपी को दोषी ठहराते हुए कोई त्रुटि की है।इस प्रकार**,** निचली विचारण न्यायालय द्वारा लगाई गई दोषसिद्धि और सजा**,** जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है**,** को बरकरार रखा जाता है।**[**पैरा **7] [978-**बी**-**सी**]**

/

/

1.2 यह सच है कि अभियुक्त को दोषी ठहराते समय**,** पी**.** डब्ल्यू**. 66** के बयान पर भारी निर्भरता रखी जाती है**,** जो चश्मदीद गवाह है।हालाँकि**,** तथ्य यह है कि पीडब्लू**66** के पाँच बयान दर्ज किए गए थे जिसमें पहली बार **25.03.2009** पर दर्ज बयान में आरोपी का नाम सामने आया था।द**.**

/

971 ए.

972 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 6 एस. सी. आर.

पीडब्लू**66** का पहला बयान कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया गया था जिसे एक मृत्यु घोषणा के रूप में माना गया था जिसमें पीडब्लू**66** ने कहा था कि तीन अज्ञात व्यक्ति थे। आरोपी के नाम का खुलासा नहीं किया गया है।बाद के बयानों में भी अपीलार्थी**-**अभियुक्त के नाम का खुलासा नहीं किया गया था।ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जब पहले के बयान दर्ज किए गए थे तो सह**-**अभियुक्त पूरे समय मौजूद थे और यहां तक कि पीडब्लू **66** को भी मारने का प्रयास किया गया था और उन्हें धमकी दी गई थी।उनकी कम उम्र को देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि उन्हें गर्दन पर चोटें आई हैं जो डॉक्टर की जांच करके अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित और साबित किया गया है**,** पी**.** डब्ल्यू**. 66** को संदेह का लाभ दिया जा सकता है।हालाँकि**,** उसी समय अभियुक्त को एकमात्र गवाह पीडब्लू **66** के बयान पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।अभियुक्त को अपराध करने से जोड़ने के लिए कुछ और सबूत होने चाहिए।अन्य परिस्थितियाँ जो अभियुक्त को फंसाती हैं**,** वे हैं घटना स्थल से कीटनाशक की बोतल की बरामदगी जो अभियुक्त द्वारा अपराध करने से पहले खरीदी गई थी।पी**.** डब्ल्यू**. 58** और पी**.** डब्ल्यू**. 60** की जांच करके अभियोजन पक्ष द्वारा इसे स्थापित और साबित किया गया है।पीडब्लू**58** और पीडब्लू**60** के बयान पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।अभियुक्तों द्वारा उनसे जिरह की जाती है।हालाँकि**,** उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है।अभियुक्त अपने खिलाफ पाई गई कथित आपत्तिजनक सामग्री/परिस्थितियों की व्याख्या करने में भी विफल रहा।**[**पैरा **6.1] [977-**बी**-**एच**; 978-**ए**]**

/

/

/

/

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 644।

2015 की आपराधिक अपील No.11 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित 25.03.2019 के निर्णय और आदेश से।

/

हरिंदर मोहन सिंह, सुश्री शबाना, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।सुश्री दीपानविता प्रियंका, प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

एम. आर. शाह, जे.

1. गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अहमदाबाद में 2015 की आपराधिक अपील में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा यहां दायर की गई उक्त अपील को खारिज कर दिया है-मूल ए

/

973

हाजी राजशिभाई ओदेदरा बनाम गुजरात राज्य

[एम. आर. शाह, जे.] ए.

अभियुक्त और यहां अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि की है-भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302,307 और 328 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए मूल अभियुक्त, मूल अभियुक्त ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. अपीलार्थी-मूल अभियुक्त पर विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302,307,328,120 बी और 201 के अंतर्गत और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। 2. 1 अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार सह-अभियुक्त जागृतिबेन और अपीलार्थी-अभियुक्त प्रेम में पड़ गए। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अपीलार्थी और सह-अभियुक्त-जागृतिबेन शादी करना चाहते थे।उन्होंने जागृतिबेन के परिवार के सभी सदस्यों को मारने की साजिश रची।अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, एक आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाते हुए, अपीलकर्ता-आरोपी और जागृतिबेन ने जागृतिबेन की मां-सिंभीबेन और उनके भाई मुकेश की गला दबाकर हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, उन्होंने एक अन्य बेटे, राजदीप (पीडब्लू 66) को भी गला घोंटकर मारने की कोशिश की।हालाँकि, आरोपी ने राजदीप अंतर्गत इस विश्वास के साथ छोड़ दिया कि उसकी मृत्यु हो गई है।हालांकि, राजदीप-पीडब्लू66 बच गए।डॉक्टरों ने उनकी

जांच की।राजदीप-पीडब्लू66 की मृत्यु घोषणा कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दर्ज की गई थी जिसे 05.03.2009 पर दर्ज किया गया था।राजदीप की मृत्यु घोषणा के बल पर, जो 05.03.2009 पर दर्ज की गई, पुलिस उप-निरीक्षक ने 06.03.2009 दिनांकित प्राथमिकी दर्ज की।जाँच के दौरान, एकमात्र गवाह राजदीप के आगे के बयान 16.03.2009,24.03.2009 और 25.03.2009 पर दर्ज किए गए।आईडी1 पर दर्ज राजदीप के बयान के आधार पर, जिसमें राजदीप ने अपीलार्थी और उसकी बहन जागृतिबेन के नाम का खुलासा किया, जांच आगे बढ़ी।इसके बाद अपीलार्थी-अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।सिंभीबेन और मुकेश की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि मौत का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना था।घटना स्थल से कीटनाशकों की एक बोतल भी बरामद की गई और मुद्दमल के रूप में एकत्र किया गया।जाँच के दौरान यह पाया गया कि यह अपीलार्थी-अभियुक्त था जिसने उक्त कीटनाशक की बोतल खरीदी थी जो घटना स्थल से मिली थी।संबंधित गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे जिससे पता चलता है कि यह अपीलकर्ता-आरोपी था जिसने कीटनाशक की बोतल खरीदी थी जो घटना स्थल से मिली और बरामद की गई थी।जाँच के समापन पर जाँच अधिकारी ने आरोप पत्र दाखिल किया।मामला न्यायालय को सौंपा गया था

/

/

/

/

/

/

/

974

/

[2022] 6 एस सी आर।

सत्र।आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया।सह-अभियुक्त जागृतिबेन, नाबालिग होने के कारण, किशोर न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया था।अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और इसलिए उस पर उपरोक्त अपराधों के लिए निचली न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया।

2.3 विद्वत विचारण विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष ने बाल गवाह-राजदीप, जिससे पी. डब्ल्यू. 66 के रूप में पूछताछ की गई थी, के बयान पर बहुत अधिक भरोसा किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, राजदीप एकमात्र चश्मदीद गवाह था जिसे मारने की कोशिश की गई

थी लेकिन वह बच गया था।कि विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302,307 और 328 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोषी ठहराया। एकमात्र चश्मदीद गवाहों के बयान पर भरोसा करते हुए और आसपास की अन्य परिस्थितियों पर भी विचार करते हुए, जैसे कि घटना स्थल से कीटनाशक की बोतल की बरामदगी जो आरोपी द्वारा खरीदी गई थी, विद्वत निचली अदालत ने दोषी ठहराया और आरोपी को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई; भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता सी. विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 328 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए पांच साल के आर. आई. से गुजरने की सजा भी सुनाई।

/

/

/

2.4 विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और सजा के निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की।आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च विचारण न्यायालय ने उक्त अपील को खारिज कर दिया है और विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि और सजा के आदेश की पुष्टि की है।

/

2.5 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अभियुक्त ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री हरिंदर मोहन सिंह पेश हुए हैं और प्रतिवादी-राज्य की ओर से विद्वान वकील सुश्री दीपानविता प्रियंका पेश हुई हैं।

/

3.1 अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री हरिंदर मोहन सिंह ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च विचारण न्यायालय ने अपील को

खारिज करने और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302,307 और 328 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने या सिंभीबेन और उसके भाई मुकेश की हत्या करने के लिए विद्वान निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि करने में एक गंभीर/गंभीर त्रुटि की है।

/

975

हाजी राजशिभाई ओदेदरा बनाम गुजरात राज्य

[एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

3.2 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से राजदीप-पीडब्लू 66 के बयान पर भरोसा करते हुए दोषसिद्धि की पुष्टि की है।यह तर्क दिया जाता है कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि राजदीप के चार अलग-अलग बयान दर्ज किए गए थे और सभी बयानों में राजदीप घटना के अलग-अलग संस्करणों के साथ सामने आया है, क्योंकि चार बयानों में से सबसे पहले, राजदीप ने अपीलार्थी-आरोपी को शामिल नहीं किया और पहली बार राजदीप के अंतिम बयान में अपीलार्थी का नाम सामने आया जो 25.03.2009 पर दर्ज किया गया था, राजदीप-PW66 के बयान पर दी गई सजा अस्थिर है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, विद्वत विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने पी. डब्ल्यू. 66 के बयान पर भरोसा करते हुए अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषी ठहराने में गंभीर त्रुटि की है।

/

/

3.3 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में पीडब्लू 66 को छोड़कर पंच गवाहों सहित अन्य सभी गवाह मुकर गए हैं।यह आग्रह किया जाता है कि जब अधिकांश गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है, तो अपीलार्थी को विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है।

/

3.4 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से किसी को भी मारने के उद्देश्य को साबित करने में विफल रहा है।

/

3.5 अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री हरिंदर ने यह तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई कीटनाशक की कहानी भी अविश्वसनीय है जब पीडब्लू58 ने आरोपी की पहचान भी नहीं की थी।इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए पैरा 79 में दर्ज निष्कर्षों को विकृत कहा जा सकता है।

/

3.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि चिकित्सा रिपोर्टों के अनुसार दोनों मृतक की मौत गला घोंटने से हुई थी और मृतक के पेट से कोई जहर नहीं मिला था। इसलिए, कीटनाशकों पर अभियोजन संस्करण विश्वसनीय नहीं है।

/

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए।4. राज्य की ओर से विद्वान वकील द्वारा वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया जाता है।

4.1 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में नहीं

/

976

/

[2022] 6 एस सी आर।

विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी ठहराने में त्रुटि की गई है।

4.2 यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान मामला दोहरी हत्या का मामला है।वास्तव में आरोपी ने गवाह राजदीप-पीडब्लू66 का गला घोंटकर हत्या करने की भी कोशिश की, हालांकि, वह बच गया और वास्तव में वह चश्मदीद गवाह है।कि चश्मदीद गवाह पर विश्वास करके न तो विद्वत निचली अदालत ने और न ही उच्च न्यायालय ने चश्मदीद गवाहों-राजदीप-पीडब्लू 66 के बयान पर भरोसा करते हुए आरोपी को दोषी ठहराने में कोई गलती की है।

/

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि घटना में राजदीप को लगी चोटों के लिए, उसने अस्पताल में उपचार लिया जो तथ्य स्थापित हो गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा राजदीप का इलाज करने वाले डॉक्टर की जांच करके साबित किया गया है।

/

4.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह सच हो सकता है कि राजदीप के विभिन्न बयानों में कुछ विरोधाभास हैं।हालाँकि, प्रासंगिक समय पर राजदीप की मानसिक स्थिति को देखते हुए और एक बच्चे के रूप में जिसने अपने परिवार के दो सदस्यों को मारे जाते देखा था और उसे मारने का प्रयास भी किया था, और जब उसके शुरुआती बयान दर्ज किए गए, तो जागृतिबेन-सह-आरोपी पूरे समय मौजूद थे, इसलिए वह सही तथ्य नहीं बता पाए होंगे।हालाँकि बाद में जब उसका बयान 25.03.2009 पर दर्ज किया गया तो वह पुलिस की सुरक्षा में था जिसके अंतर्गत उसने सही तथ्य बताए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब राजदीप की चोटों को स्थापित किया गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा डॉक्टर की जांच करके साबित किया गया है, तो राजदीप के बयान पर भरोसा करते हुए विद्वत निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

/

/

4.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी, घटना स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति स्थापित की गई है और अभियोजन पक्ष द्वारा पीडब्लू58 और पीडब्लू60 की जांच करके साबित किया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि घटना स्थल से कीटनाशक की एक बोतल मिली थी जिसे आरोपी ने खुद खरीदा था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह सच हो सकता है कि मृतक की मृत्यु कीटनाशक के कारण नहीं हुई होगी।हालाँकि, जहर देने का प्रयास किया गया क्योंकि मृतक के कपड़ों पर कीटनाशक पाया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि दोगुना सुनिश्चित होने के लिए कि आरोपी ने कीटनाशक देने की भी कोशिश की।यह तर्क दिया जाता है कि आरोपी अपनी उपस्थिति और कीटनाशक की खरीद के बारे में बताने में विफल रहा है। इसलिए, अभियुक्त की दोषसिद्धि पोषणीय है।

/

/

/

977

हाजी राजशिभाई ओदेदरा बनाम गुजरात राज्य

[एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।हमने अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना की है।6. शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह मामला दोहरी हत्या का है।यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि साक्ष्य की सराहना और आसपास की

समग्र परिस्थितियों पर विचार करने पर, विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दो व्यक्तियों की हत्या करने के लिए दोषी ठहराया और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।

/

6.1 विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को देखने के बाद यह देखा जा सकता है और यह सच है कि अभियुक्त को दोषी ठहराते समय, राजदीप-पीडब्लू 66, जो चश्मदीद गवाह है, के बयान पर भारी निर्भरता रखी जाती है।हालाँकि, तथ्य यह है कि राजदीप के 05.03.2009 से 25.03.2009 तक पाँच बयान दर्ज किए गए थे जिसमें पहली बार 25.03.2009 पर दर्ज बयान में आरोपी का नाम सामने आया था। राजदीप का पहला बयान 05.03.2009 पर दर्ज किया गया था जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने था जिसे एक मृत्यु घोषणा के रूप में माना गया था जिसमें राजदीप ने कहा था कि तीन अज्ञात व्यक्ति थे।आरोपी के नाम का खुलासा नहीं किया गया है।बाद के बयानों में भी अपीलार्थी-अभियुक्त के नाम का खुलासा नहीं किया गया था।ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जब पहले के बयान दर्ज किए गए थे तो सह-आरोपी जागृति बेन पूरे समय मौजूद थी और यहां तक कि राजदीप को भी मारने का प्रयास किया गया था और हो सकता है कि उसे धमकी दी गई हो। राजदीप की कम उम्र को देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि उसकी गर्दन पर चोट लगी है, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा डॉक्टर की जांच करके साबित किया गया है, राजदीप को संदेह का लाभ दिया जा सकता है।हालाँकि, साथ ही अभियुक्त को एकमात्र गवाह राजदीप के बयान पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।अभियुक्त को अपराध करने से जोड़ने के लिए कुछ और सबूत होने चाहिए।अन्य परिस्थितियाँ जो अभियुक्त को फंसाती हैं, वे हैं घटना स्थल से कीटनाशक की बोतल की बरामदगी जो अभियुक्त द्वारा अपराध करने से पहले खरीदी गई थी।कीटनाशक की बोतल की खरीद जो आरोपी द्वारा खरीदी गई घटना स्थल से पाई गई थी, पी. डब्ल्यू. 58 और पी. डब्ल्यू. 60 की जांच करके अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित और साबित की गई है।हम पी. डब्ल्यू. 58 और पी. डब्ल्यू. 60 के बयान पर संदेह करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।उनसे अभियुक्तों द्वारा जिरह की जाती है।हालांकि, उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है।हम उनके साक्ष्य पर संदेह करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।अभियुक्त अपने विरुद्ध पाई गई उपरोक्त आपत्तिजनक सामग्री/परिस्थितियों की व्याख्या करने में भी विफल रहा है।

/

/

/

/

/

/

घटना से पहले उसके द्वारा कीटनाशकों की खरीद और कीटनाशक की वही बोतल जो उसके द्वारा खरीदी गई थी, घटना स्थल से मिली थी।

7. परिस्थितियों अंतर्गत और मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वत निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने सिंभीबेन और उसके भाई मुकेश की हत्या के लिए आरोपी को दोषी ठहराते हुए कोई त्रुटि की है।ऊपर बताए गए कारण के लिए हम उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा लगाए गए दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हैं।

/

8. उपरोक्त चर्चा और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, वर्तमान अपील विफल हो जाती है और उसी को खारिज किया जाना चाहिए और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

/

निधि जैन

याचिका खारिज कर दी गई।

/

/

/

/

/